(17)

संख्या बी–3–4180/दस–1998

प्रेषक,

श्री के० सी० मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 1998

विषय :–राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर कार क्रय करने के लिए अग्रिमों का पृथकीकरण।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक)
अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या बी–3–6234/दस–89–4 (1)/89–कम्प्यूटर, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 के प्रस्तर–3 में उल्लिखित मोटर कार अग्रिम एवं व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम के मद को एक दूसरे से अलग (delink) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब भारत सरकार की भांति कम्प्यूटर अग्रिम तथा मोटर कार अग्रिम अलग-अलग स्वीकृत होंगे। शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

2—तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या बी–3–6234/दस–89–4 (1)/89–कम्प्यूटर, दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3—यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4—वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,
के० सी० मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या बी–3–4180 (1)/दस–1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा), उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ० प्र०, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—विधान परिषद्/विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय।
5—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
6—वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।
7—वित्त (नियम कोष्ठक) अनुभाग (दो अतिरिक्त प्रतियां)।

आज्ञा से,
के० सी० मिश्र,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 133 सा० वित्त—27–11–98—(1722)—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।